"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 17th May, 2000, agreed without any amendment to the Major Port Trusts (Amendment) Bill, 2000, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 10th May, 2000."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table of the House.

SHORT DURATION DISCUSSION

Internal Security Situation with Special Reference to North Eastern States- Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Now the hon. Home Minister will reply to the debate. After that there are 31 Special Mentions. If the House agrees, all the Special Mentions which have been permitted will be recorded. I mean the subjects of the respective Special Mentions which the hon. Members have intimated to the Secretariat will be recorded.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : They have referred to the subjects of the Special Mentions for which approval has already been given. I think the hon. Members can get up and mention their subjects.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस लम्बे बजट सत्र का समापन इस प्रकार की बहस से हो रहा है, मुझे लगता है कि यह एक प्रकार से अनोखी बहस है, अपने ढंग की पहली बहस है। जब विषय पढ़ा था कि 'आंतरिक स्थिति देश की' और विशेषरूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के संदर्भ में तो मुझे लगा कि पूरा का पूरा ध्यान कुल मिलाकर के जो बिगड़ी हुई आंतरिक स्थिति है और आईएसआई की गतिविधियां हैं, हत्याएं हैं, अपहरण हैं, उन्हीं पर प्रायः चर्चा होती रहेगी। उसी के इर्द-गिर्द होती रहेगी और सरकार के ऊपर प्रहार होगा कि आप उसका सुप्रबंध नहीं कर सके, सुरक्षा की व्यवस्था नही कर सके लेकिन इस तीन-साढ़े तीन घंटे की बहस के बाद मैं अगर सब भाषणों की ओर ध्यान देता हूं - शंकर राय चौधरी जी ने शुरू किया, विपक्ष के नेता ने उसके बाद अपने विचार रखे तो सभी ने नॉर्थ ईस्ट की स्थिति का विश्लेषण किया, अपनी-अपनी दृष्टि से विश्लेषण किया और बड़े रचनात्मक ढंग से किया। कुछ भाषण तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ऐजूकेटिव भाषण थे, शिक्षाप्रद भाषण थे, विश्लेषण बड़ा पैना था, अनुभव के आधार पर था। किसी ने

अपनी सेना के अनुभव के आधार पर, किसी ने विपक्ष के नेता के आधार पर और उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के कारण और आर्थिक क्षेत्र में प्रवीणता रखने के कारण तो किसी ने वहां पर राज्यपाल रहे होने के कारण वहां की सारी समस्याओं को बहुत ही अच्छे परिप्रेक्ष्य में सदन के सामने रखा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत लम्बा-चौड़ा जवाब देने की जरूरत है - खासकर तब जब 31 लोग केवल

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं।]

अपना स्पैशल मैंशन देने के लिए बैठे हुए हैं, सब लोग आतुरता से बैठे हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि शंकर राय चौधरी जी ने जो आरम्भ में बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर सुरक्षा के लिए संकट पैदा हुआ है क्योंकि वहां पर विकास नहीं हो रहा है, विकास का अभाव है या वहां पर बेरोजगारी है, तो इस बात को सोचना होगा कि बेरोजगारी और विकास के अभाव की समस्या तो देश के प्रायः कई भागों में है, अनेक भागों में है पर फिर भी उन भागों में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं हुई कि लोग बंदूक का सहारा लेकर उग्रवाद के रास्ते पर जाएं, तो फिर उत्तर पूर्वी राज्यों की खास बात क्या है? उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति की कि उत्तर पूर्व को एक प्रकार से एक ब्लॉक नहीं मानना चाहिए। अलग-अलग राज्यों की, अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग समस्याएं होती हैं। सही है, अगर ऐसा न होता तो भारत के उत्तर पूर्व में जो सात प्रदेश हैं - जिनमें अगर मैं आठवां सिक्किम भी जोड़ दूं तो आठ प्रदेश हैं - उनमें से अपेक्षाकृत चार में मिलीटेंसी आज कम है, चार में अधिक है और जिन चार में अधिक है उनमें से नागालैंड - मैं मानता हूं कि नागालैंड और असम में विगत वर्षों में कम हुई है। यह अंतर है। उनका कहना था कि हमें इस बात को ज्यादा पहचानना चाहिए कि विकास के अभाव, बेरोजगारी और आई.एस.आई. के अपने प्रयत्न - ये सारे कारण हैं लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में अलायनेशन का अभाव भी एक मेजर फैक्टर है। मैं मानता हूं कि सारे समाज को, सारे देश को और सरकार को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भौगोलिक दूरी और मनोवैज्ञानिक दूरी न बने। यह स्थिति न आए कि किसी को यह कहना पड़े कि वहां पर तो लोगों को प्रदेशों के भी नाम पता नहीं हैं, उनकी राजधानी का पता नहीं है, मुख्य मंत्री कौन है, यह पता नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर स्वराज जी ने बताया। जब कि यह बात सही है कि दूरी होती है तो ये बातें होती हैं। मैं दिल्ली में ही देखता हूं कि कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में कोई अंतर नज़र नहीं आता। इनमें से किसी की भी भाषा ये सुनते हैं तो कहते हैं कि यह मद्रासी बोल रहा है। ऐसे लोग मिलते हैं। यह सब दूरी के कारण है। यह ठीक है कि उन लोगों को उस प्रकार की भाषा बोलने वाला कोई मिलता है तो बहुत अटपटा लगता है, बहुत बुरा लगता है।

ये कैसे लोग हैं जिनको यह भी पता नहीं है कि तमिल और तेलुगु अलग-अलग भाषाएं हैं, मलयालम बिलकुल अलग भाषा है। इसलिए हम लोगों को कॉन्शियसली इस दिशा में सोचना चाहिए।

शर्मा जी ने उल्लेख किया, सही बात है। चाहे बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं हो लेकिन इस सरकार ने तय किया कि हमको बारदोलई का सम्मान करना चाहिए। वह सिम्बॉलिक होगा लेकिन सिम्बॉलिक होते हुए भी कुछ मात्रा में अगर वहां के लोगों के मन में यह भाव है कि हमारी ओर उपेक्षा का भाव है, हमारे यहां के महापुरुषों को नहीं पहचाना जाता है, नई दिल्ली दूर है इसलिए हमारी ओर ध्यान नहीं होता, तो ठीक है, जो कुछ इसमें हो सकेगा, वह हम ज़रूर करेंगे। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है शर्मा जी ने जिसका ज़िक्र किया कि किसी समय यहां सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगा हुआ था जिसको बाद में हटाया गया, मुझे पता नहीं है।

DR. ARUN KUMAR SARMA: What happened to the portrait of Shri Gopinath Bardolai which was unveiled? It has not been placed there.

SHRI L. K. ADVANI: Was there a portrait which was removed? I will find out because to the best of my recollection, Shri Gopinath Bardolai's portrait has not been put there though there has been a demand that it should be put there. I will certainly find out because I was taken by surprise when you mentioned this. But it was there and it has been removed. Shri Pranab Mukherjee may recall, but I do not recall. My own information is, as far as I can recall, there was no portrait. There had been a demand that this portrait be put up.

हमारी ओर से कोशिश होती है जैसे नेशनल टी.वी. है, रेडियो है, आकाशवाणी है, उस पर जितना कवरेज हो सके, नॉर्थ-ईस्ट का करो। कोई सम्मान की बात होती है, नेशनल अवार्ड्ज़ होते हैं, राष्ट्रपति की ओर से सम्मान होता है तो नॉर्थ-ईस्ट का ध्यान रखो, इन दिशाओं में हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। बोर्ड्ज़ हैं पी.एस.यूज़ के, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन्स के, बैंकों के, हुडको वगैरह, उनमें नॉमिनेशन करते हुए इस बात की चिंता की जाए कि उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को भी उसमें स्थान मिले, यह प्रयत्न होता है और यह प्रयत्न लगातार चलता रहेगा। इस प्रयत्न के साथ-साथ यह तो चिंता करनी पड़ती है कि जो दायित्व किसी को दिया जा रहा है, उसके लिए उसके क्रेडेंशियल्स, उसकी योग्यता - इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए लेकिन मैं यह ज़रूर कह सकता हूं कि सरकार की नीति है और देश को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस दूरी के कारण जो एलाइनेशन

होता है और जो भौगोलिक दूरी, मनोवैज्ञानिक दूरी बन जाती है, उसको ठीक करने में हम सबको योगदान करना है।

मैनस्ट्रीम का हिस्सा बनाओ - उसका उत्तर हमारे अहलुवालिया जी ने दिया कि ये तो हमारे मेनस्ट्रीम का हिस्सा हैं ही और पौराणिक संदर्भ देकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कितने लोग हैं....यहां तक कि शुरु-शुरु में मैं भाषण सुन रहा था जनरल राय चौधरी का तो हमें लगा कि घटोत्कच तक आ गए उनके भाषण में। वे सैनिक हैं, इसलिए भी शायद याद आया होगा लेकिन मैं मानता हूं कि वे भारत का हिस्सा हैं और भारत का हिस्सा होने के साथ-साथ जो बात शर्मा जी ने आखिर में कही कि वहां पर सेपरेटिज्म की भावना नहीं है, सेपरेटिस्ट फीलिंग्ज़ नहीं हैं, हां, कुछ छोटे-छोटे ग्रुप्स की हो सकती हैं लेकिन कुल मिलाकर सेपरेटिज्म को प्रश्रय न देना, यह सारे देश का संकल्प है और किसी के मन में भी यह संदेह नहीं होना चाहिए जो संदेह हमारे नागालैंड के प्रतिनिधि ने व्यक्त किया कि हम इस बात के लिए भी तैयार हैं, हम पीस प्राप्त करने के लिए भारत की सोवरैनिटी, सार्वभौमिकता के साथ और भारत की एकता के साथ भी समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन इस बात को मन से निकाल देना चाहिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ सोवरैनिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ नहीं होगा। अलबत्ता पीस आना चाहिए और पीस आने के लिए यह बात जो कही गई, वह सही है कि उस सारे क्षेत्र में जो सबसे अधिक प्रभावी उग्रवादी दल हैं, उनमें उल्फा भी है, एन.एस.सी.एन.(आई-एम) भी है और एन.एस.सी.एन.(आई-एम) से सीज़फायर होना ....सही आपत्ति की स्वराज जी ने कि सीज़फायर शब्द का चयन अच्छा नहीं है और इसीलिए इस समय जब हमने बोडो लिबरेशन टाइगर से बात की तो हमने उसको सीज़फायर नहीं कहा। हमने उसको सेसेशन ऑफ होस्टिलिटी भी कहा और हमने और भी बातें उनको कहीं जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन एन.एस.सी.एन. (आई-एम) के साथ शांति होने के कारण आज नागालैंड में आम जनता की पीस में एक प्रकार से वैस्टेड इन्टरेस्ट हो गया है और वे चाहते हैं कि वह कन्टीन्यू हो। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी बात होगी, जो भी निर्णय करने की बात आएगी वहां के प्रदेश-प्रतिनिधि और वहां की सरकार भी उसमें इन्वाल्व हो। आपने सही कहा कि पिछले दिनों वहां के मुख्य मंत्री और राज्यपाल से काफी विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन उनको इन्वॉलव करके ही हम आगे की सारी कार्यवाही करेंगे, इतना मैं कह सकता हूं।

हमारे अरुणाचल के प्रतिनिधियों ने चकमाज के बारे में कुछ तीखी बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि उनके प्रति न्याय करना नहीं होगा। वे लोग बहुत समय से यहां पर रह रहे हैं। अगर मैं उस समय का उल्लेख करूं तो हम इस बात को भूल नहीं सकते कि आज लगभग

पैंतीस हजार चकमा अरुणाचल में हैं। 1964 में वे लोग आए और यह भी बताया गया है कि वे मूलतः बिहार के चट गांव के हैं, उधर चले गए और फिर यहां आए। उनमें से चौदह या पन्द्रह हजार अरुणाचल में गए और बारह हजार फैमिलीज देश के दूसरे हिस्सों में चली गई। बाकी जो वहां पर गए वे सारे वहां एब्जार्ब हो गए। चूंकि अरुणाचल में इनकी पॉपुलेशन कम है सैपरेट पॉपुलेशन है इसीलिए वे वहां पर खटकते हैं, वहां के स्थानीय लोगों को इनकी उपस्थिति खटकती है। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि 1987 के बाद जिनका जन्म वहां पर हुआ वे ऑटोमेटिकली हमारे सिटिजन्स हो गए, वहां के नागरिक हो गए। जो बाकी लोगों को नागरिकता देने का सवाल है, हम इतना ही कह सकते हैं कि इस बारे में हमने कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी यहां से भी गई थी, शायद राजगोपाल जी उसके अध्यक्ष थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अपनी सिफारिशें दी हैं। उन पर विचार करते समय हम वहां की सरकार तथा वहां के लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे और हम सब मिलकर कोई सोल्यूशन निकालेंगे। स्वराज जी ने यहां पर बड़े चिंताजनक आंकड़े दिए हैं कि कश्मीर में जितने लोग मरे उतने ही नार्थ-ईस्ट में मरे, इसमें सच्चाई है। लेकिन आईएसआई जितनी प्रभावी कश्मीर में हो सकती है यहां नहीं हो सकती। यहां की समस्याएं केवल आईएसआई से जुड़ी हुई नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर में आई.एस.आई. का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है और आईएसआई के बारे में पिछले कुछ सालों में एक अवेयरनेस पैदा हुई है, वह अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले तो अवेयरनेस कम थी, इन दिनों तो ऐसी स्थिति भी आई है कि पश्चिमी बंगाल के गृह मंत्री ने मुझसे शिकायत की कि जब आप आईएसआई का जिक्र करते हैं तो आप पंजाब का जिक्र करते हैं, नार्थ-ईस्ट का जिक्र करते हैं, तमिलनाडु का जिक्र करते हैं, लेकिन आप पश्चिमी बंगाल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं, हमारे यहां बहुत गंभीर समस्या है। मैंने उनकी बात सुनकर कहा कि मुझे खुशी है कि आप इसकी शिकायत कर रहे हैं कि मैं पश्चिमी बंगाल का जिक्र क्यों नहीं करता हूं। मुझे कभी-कभी संकोच होता था कि अगर मैं पश्चिमी बंगाल का जिक्र करूंगा तो कहीं कोई यह न कह दे कि प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप क्यों इसका जिक्र करते हैं। लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसको और बढ़ाने के लिए पिछले दिनों हमने संसद के बहुत से साथियों को जानकारी दी कि न केवल देशभर में बल्कि नार्थ-ईस्ट में कितना संकट है और उस संकट का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। पिछले डेढ़-दो सालों में कितने मोड्यूल हो सकते हैं, आईएसआई के मोड्यूल को डिटेक्ट करके उनको समाप्त किया गया है, इसकी भी जानकारी दी। मैं कह सकता हूं कि इस दृष्टि से अगर नार्थ-ईस्ट में कोई पड़ौसी देश उनके लिए किसी भी रूप से जाने-अनजाने में सहायक होता है तो .....। उनसे हमारी लगातार बातचीत चलती रहती है। हमने उन्हें इस बात के लिए

सचेत भी किया कि आप इस मामले में हमें सहयोग दीजिए। मुझे इस बात की खुशी हुई कि पिछले दिनों बंगलादेश के गृह सचिव हमारे गृह सचिव से सुरक्षा के संदर्भ में वार्ता करने के लिए यहां आए। जब वे मुझसे मिलने आए और जैसे ही मैंने उनसे ISI का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि - मैं तो आपको केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि हमें इस बात का अहसास है कि ISI की गतिविधियां भारत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश के लिए भी एक संकट है और इसलिए हम चाहेंगे कि आप-हम मिलकर सहयोग करके ISI की गतिविधियों को सीमित करें। इसी प्रकार का दृष्टिकोण नेपाल का है, यह मैं कह सकता हूं। नेपाल से भी हमारा इस मामले में सहयोग चलता रहता है, म्यांमार से भी चलता रहता है। किसी सज्जन ने इस बात का जिक्र किया कि हम तीनों मिलकर इस समस्या का, मिलिटेंसी का मुकाबला करें। एक को-ऑर्डिनेटड एफर्ट करने की कोशिश हमारी तरफ से होती रहती है।

ट्रेड की बात कही। पड़ोसी देशों के साथ परंपरागत व्यापार होता था। उस दिशा में भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनेक कदम उठाए हैं और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि चाहे म्यांमार हो, बंग्लादेश हो या चीन भी हो, हमारी तरफ से ट्रेडीशनल ट्रेड सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए हो सके, इसकी व्यवस्था करने की दिशा में हम प्रयत्न करेंगे। कई सदस्यों, डा. शर्मा ने, शायद बसंती जी ने भी कहा कि उत्तर-पूर्व की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है इल्लिगल इमिग्रेशन। यह पार्टिशन के समय से चली आ रही है। पार्टिशन से अब तक उसके डाइमेंशन्स इतने बढ़ गये हैं कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितना इलिगल इमिग्रेशन हुआ है ? अगर कोई इल्लिगल इमिग्रेंट बंग्लादेश पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र में आ गया तो उसे आइडेंटिफाई करके निकालना कम से कम कानूनी दृष्टि से कठिन काम नहीं है। कानूनी तौर पर फोरेनर्स ऐक्ट है। उस फोरेनर्स ऐक्ट के अधीन अगर वहां की एग्जेक्यूटिव अथॉरिटी पहचान लेती है कि यह व्यक्ति बंग्लादेशी है और यहां आकर बसा है और अपने को भारतीय बनाने की कोशिश कर रहा है तो It can deport it. Such deportation has been going on, over the years, from all parts of the country. क्योंकि डी-पोर्टेशन का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है जो हमने प्रदेश सरकारों को डेलीगेट कर रखा है। प्रदेश सरकारें हर साल हजारों लोगों को डीपोर्ट करती रहती हैं। आश्चर्य यह है कि जिस प्रदेश में यह समस्या सबसे अधिक उग्र है, सबसे अधिक तीव्र है और जहां इस इश्यू को लेकर एक बड़ा भारी जबर्दस्त आंदोलन भी चला उसी प्रदेश में फोरेनर्स ऐक्ट नहीं लगता इस मामले में। एक अलग कानून लगता है - IMDP। इसीलिए वहां से निकालना ज्यादा कठिन है, मुश्किल है। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे साफ दिखाई देता है कि IMDP ऐक्ट के अधीन 1983 से लेकर, जब से यह ऐक्ट पास हुआ आज तक 1,477

Persons have been deported under that. जबकि बाकी प्रदेशों से हजारों लोगों को आइडेंटिफाई करके डीपोर्ट किया जा चुका है कि यह बंग्लादेश का है इसे डीपोर्ट कर दो। पूछा गया कि इस बारे में कुछ करेंगे, IMDP ऐक्ट के बारे में? सदन सहमत हो तो मुझे खुशी होगी कि जिस प्रकार से बाकी प्रदेशों में फोरेनर्स ऐक्ट लागू होता है वैसे ही आसाम में भी फोरेनर्स ऐक्ट लागू हो जाए ताकि इस प्रकार की व्यवस्था न हो जिसके कारण इल्लिगल इमिग्रेशन को रोकना और मुश्किल हो जाए। हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं, यह इसी पर निर्भर है। अगर हम चाहते हैं कि इल्लीगल माइग्रेशन रुके और इल्लीगल नाइग्रेंट्स को वापस भेजें तो जो व्यवस्था बाकी देश में है वही व्यवस्था असम में क्यों नहीं होनी चाहिए ? यह मेरा आप सबसे सवाल है क्योंकि मैं या हमारी पार्टी या हमारी सरकार अकेले इसको नहीं कर सकती हैं। लोकसभा में कर भी लेंगे लेकिन यहां नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सवाल को मैं जानबूझकर आपके सामने जब यहां पर नार्थ-ईस्ट की चर्चा हो रही है उस समय रख रहा हूं। मैं मानता हूं कि नार्थ-ईस्ट की समस्या की जड़ में जो खास बात है उसमें यह इल्लीगल माइग्रेशन की प्राबलम विशेष है।

उपसभापति जी, इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है। बाकी जो सेक्युरिटी स्टेप की बात है In respect of border fensing, etc., or promoting the development of the region क्योंकि सही कहा है कि केवल मात्र पैकेज एनाउन्स कर दें और प्रोजक्ट न हों तो कोई उचित बात नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि 1996 के अक्टूबर और दिसम्बर 1999 के बीच में जो प्रोजेक्ट एनाउन्स हुए, वह 274 प्रोजक्ट थे और वह 5789 करोड़ worth have been sanctioned but the total expenditure of these projectes till December, 1999 जो कि हो चुके। इतना काम हो चुका है और वह है 2343 करोड़।इसमें पावर, रोड, रेलवे, सिविल एविएशन, एजूकेशन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री, ग्रोथ सेंटर, हेल्थ एंड ड्रिकिंग वाटर। इसके अलावा भी मैं प्रोजक्ट गिनवा सकता हूं कि कहां कहां क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि कसौटी यह होती है कि वहां जमीन पर काम क्या हुआ है। पैकेज की घोषणायें कितनी हुई इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन जमीन पर क्या हुआ इसका महत्व है। इसकी लगातार मानीटरिंग होती रहती है।

त्रिपुरा में जो जो काम अभी तक हो चुके हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि आज प्रातःकाल ही त्रिपुरा के अनेक सांसद मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। उस समय मैं भी वहां पर उपस्थित था। वहां पर उनका आग्रह था कि पिछले दो महीनों में वहां स्थिति बहुत बिगड़ी है, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है और इसके लिए उनको सैनिक टुकड़ियां चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सैनिक टुकड़ियों के बारे में मैं रक्षा मंत्री

से बात करूंगा लेकिन जहां तक हमारे पास अपनी पैरा मिलेट्री फोर्स का सवाल है तो पैरा मिलेट्री फार्स नार्थ-ईस्ट एरिया में सबसे अधिक यदि कहीं पर तैनात है तो शायद वह त्रिपुरा में ही है। we are over-stretched मैं जानता हूं कि वहां पर समस्या काफी विकट है और उस विकट समस्या का सामना करने के लिए मैं यह चाहूंगा कि वहां की पुलिस अधिक दक्ष हो, उसको अधिक सक्रिय करें। बाकी जितने सुझाव उन्होंने दिए हैं उन पर हम कार्यवाही करेंगे।

मिजोरम के बारे में मुझे यह कहना है कि मुझे इस बात की खुशी है और आज स्वयं स्वराज कौशल जी ने जो वहां के राज्यपाल रह चुके हैं कहा कि उस समय जो उग्रवादी थे, प्रमुख आतंकवादी थे आज वह वहां के मुख्य मंत्री हैं, वहां के गृह मंत्री हैं। इतना ही नहीं हमने उनसे पिछले दिनों बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आप जो सेक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेंडीचर देते हैं वह उन राज्यों को देते हैं जहां पर सेक्युरिटी को खतरा होता है और जहां पर आतंकवाद बढ़ जाता है। लेकिन जहां पर आतंकवाद नहीं है उनको कोई पुरस्कार नहीं देते। तो क्या जब तक हम आतंकवाद पैदा नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन से चर्चा करके एक कल्पना की कि किसी प्रदेश में जहां पर कभी आतंकवाद रहा हो अगर वहां पर शांति स्थापित हो जाए तो शांति स्थापित होने के बाद उन्हें पीस बोनस दिया जाएगा। पीस बोनस की कल्पना हमने मिजोरम से शुरू की। अभी पिछले दिनों मिजोरम में, जहां पर पीस है वहां पर एक घटना हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि जो दो मिजो पी.एच.ई.डी. आफिशियल जिनको किडनैप किया गया था, थ्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा, जो रियोबो संस्था है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट में, उन्होंने उन दोनों आफिशियल्स को उनके पास लौटा दिया है। वे सुरक्षित हैं। इनके कारण वहां पर जो एथनिक टेंशन क्रियेट हुआ था, वह कम हो गया है। उपसभापति महोदया, मुझे कुछ और कहना नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इन बातों के ऊपर सतर्क है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में जो आज सुरक्षा के लिए संकट है, उस संकट का सामना करने के लिए जहां एक ओर हमें विकास के काम बढ़ाने होंगे, नौजवानों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे, वहां पर अगर कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, ग्रुप, किसी कारण से उग्रवाद में उलझ गया है और वह उसमें से निकलने के लिए वार्ता करना चाहता है तो भारत सरकार उसके लिए वार्ता करने को तत्पर होगी। यही नहीं, हमारी सब प्रदेशों को सलाह है कि अच्छा होगा कि प्रदेश के स्तर पर वार्ता पहले शुरू हो। आप चाहेंगे किसी प्रदेश को अगर लगता है हमें वार्ता करने में दिक्कत है, आप करें तो अच्छा है, हम उसके लिए भी तैयार होंगे। लेकिन सब वार्ता के मामलों में अगर प्रदेशों की सरकारें भी साथ-साथ लगती रहें तो अच्छा होगा। ऐसा मान कर हमारी एप्रोच होगी।

DR. MANMOHAN SINGH (Assam): Madam Deputy Chairman, with your permission, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister to the statement which he just made about illegal migrants. He referred to the problem of illegal migrants. I think there is complete unanimity in the House that the problem of illegal migrants should be tackled as effectively as possible. But, at the same, I would also like to point that in the specific case of Assam, this matter was dealt with in the Assam Accord. Reopening of this issue will, I think, raise problems which will not be easy to resolve. Therefore, if the intention of the Home Minister is that he is going to repeal the IMDT Act, I think, in that exercise he cannot be assured of our cooperation.

SPECIAL MENTIONS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the discussion on the North-East is over. Now, there are 31 Special Mentions, with 52 participants. In addition to that, clarifications are to be sought on the NPT also. Pranabji, you are good in mathematics, can you tell me how much time will it take?

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam, for 31 Special Mentions, with 52 participants, I think, we will have to devote a minimum of three hours. Therefore, my most respectful submission to you would be, if the House agrees, and if you permit me, if you could put the submissions of the hon. Members on record without making any speech. In this way, the whole purpose would be served. This could be one of the approaches, provided the House agrees to it.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I fully agree with Pranabji.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार): मैडम।

उपसभापति : आपको क्या तकलीफ है?:

***मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** : हमारी तकलीफ यह है कि हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं अपने मसलों को उठाने के लिए। सारे लोग अपनी अपनी बातें कह लेते हैं। आखिर यह कौन सा तरीका है? रात 11 बजे तक हाऊस चलेगा तो चलने दीजिये। मैडम, हम लोग अपना मसला उठायेंगे।

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.